प्रपत्र—23

परियोजना का नाम :— जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड बेरीनाग में पाताल भुवनेश्वर-चौड़मन्या मोटर मार्ग लम्बाई 5.00 किमी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नाम भुवनेश्वर
तहसील बेरीनाग जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विषयांकित परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.71 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.9 हे0, वन पंचायत भूमि —x— हे0) अर्थात कुल 2.61 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत भुवनेश्वर द्वारा दिनांक 1/7/18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम भुवनेश्वर के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/—
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र.....
वि0 ख0 बेरीनाग (पिथौरागढ़)

कमला देवी
प्रधान
ह0/—
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत भुवनेश्वर
वि0 ख0 बेरीनाग (पिथौरागढ़)

नोट :— * यदि किसी आदिवासी अथता वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 1-7-18.....को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत भुवनेश्वर..........

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1–	भगवान सिंह	भगवान सिंह
2–	सोम सिंह	[illegible]
3–	पूरन सिंह	[illegible]
4–	घनश्याम	Ghashyam
5–	बहादुर राम	बहादुर राम
6–	जगत सिंह	JSlme
7–	किशन राम	किशनराम
8–	पूरन राम	पूरनराम
9–	जगदीश राम	जगदीशराम
10–	कमला देवी	कमलादेवी
11–	हीरा देवी	हीरा देवी
12–	प्रेमा देवी	प्रेमा देवी
13–	कुन्ती देवी	कुन्तीदेवी
14–	दर्शन राम	[illegible]

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी,
क्षेत्र.................
वि० ख० बेरीनाग (पिथौरागढ़)।

कमलादेवी
प्रधान
ग्राम पंचायत भुवनेश्वर
वि० ख० बेरीनाग पिथौरागढ़

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड बेरीनाग में पाताल भुवनेश्वर-चौड़मन्या मोटर मार्ग लम्बाई 5.00 किमी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम गनौरा
तहसील बेरीनाग जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विषयांकित परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.71 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.9 हे0, वन पंचायत भूमि — × — हे0) अर्थात कुल 2.61 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण ——— विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत गनौरा द्वारा दिनांक 2.7.18 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम गनौरा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हेमा देवी

ह0 / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सचिव
वि0 ख0 बेरीनाग (पिथौरागढ़)

ह0 / —
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत गनौरा
वि0 ख0 बेरीनाग (पिथौरागढ़)

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 2/7/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत गनोरा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	शमशेर सिंह	शमशेर सिंह
2	बहादुर सिंह धामी	[illegible]
3	जोगासिंह	जोगासिंह
4	खड़कसिंह	खड़कसिंह
5	बहादुर सिंह	बहादुर सिंह
6	रणजीत सिंह	रणजीत सिंह
7	ठाकुरसिंह	ठाकुरसिंह
8	उपेन्द्रसिंह धामी	[illegible]
9	नारायन सिंह	Narayan Singh
10	रणजीतसिंह	रणजीत सिंह
11	[illegible]	[illegible]
12	जगदीश धामी	जगदीश धामी
13	खड़क धामी	खड़क धामी
14	राधा देवी	राधा देवी
15	दीपा देवी	दीपा देवी
16	भागीरथी देवी	भागीरथी देवी
17	गीता देवी	गीता देवी
18	शीला देवी	शीला देवी
19	अनन्ता देवी	अनन्ता देवी
20	रेखा देवी	रेखा देवी

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी,
क्षेत्र......
वि० ख० बेरीनाग (पिथौरागढ़),

हस्ताक्षर [illegible]

ह0/–
ग्राम प्रधान – ग्राम (गनोरा)
वि० ख० बेरीनाग (पिथौरागढ़)

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड बेरीनाग में पाताल भुवनेश्वर-चौड़मन्या मोटर मार्ग लम्बाई 5.00 किमी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम गोबालगाँव
तहसील बेरीनाग जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विषयांकित परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.71 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.9 हे0, वन पंचायत भूमि — x — हे0) अर्थात कुल 2.61 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत गोबालगाँव द्वारा दिनांक 2/7/18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम गोबालगाँव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, क्षेत्र...
वि0 ख0 बेरीनाग (पिथौरागढ़)

कमलादेवी
ह0/–
ग्राम प्रधान
प्रधान ग्राम पंचायत भुवनेश्वर
वि0 ख0 बेरीनाग (पिथौरागढ़)

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथता वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 2/7/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत गोठाल गाँव

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	नारायण सिंह	N.S. Rawal
2-	गणेश सिंह	गणेश सिंह
3-	हुशियार सिंह	हुशियार सिंह
4	लीला देवी	लीला देवी

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र.................
वि० ख० बेरीनाग (पिथौरागढ़)

कमलादेवी
प्रधान
ग्राम पंचायत भुवनेश्वर
वि० ख० बेरीनाग पिथौरागढ़

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड बेरीनाग में पाताल भुवनेश्वर-चौड़मन्या मोटर मार्ग लम्बाई 5.00 किमी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सिमायल
तहसील बेरीनाग, जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विषयांकित परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.71 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.9 हे0, वन पंचायत भूमि — x — हे0) अर्थात कुल 2.61 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सिमायल द्वारा दिनांक 3/7/18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सिमायल के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

राधेराम

ह0/–
ग्राम सचिव

ग्राम पचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र...
वि0 ख0 बेरीनाग (पिथौरागढ़)

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 3/7/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सिमायल

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1–	राधेराम	राधेराम
2–	जीवन सिंह	जीवन सिंह
3–	गणेश राम	गणेश राम
4–	ठाकुर सिंह	ठाकुर सिंह
5–	खड़क सिंह	खड़क सिंह
6–	पूरन सिंह	पूरन सिंह
7–	बसन्त सिंह	B. Singh

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी,
क्षेत्र..........
वि० ख० बेरीनाग (पिथौरागढ़)

राधेराम
ग्राम प्रधान
ह0 / – सिमायल
वि0 ख0 ... पिथौरागढ़

प्रपत्र—23

परियोजना का नाम :— जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड बेरीनाग में पाताल भुवनेश्वर-चौड़मन्या मोटर मार्ग लम्बाई 5.00 किमी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नाम डुंगरी पन्त
तहसील बेरीनाग जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विषयांकित परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.71 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.9 हे0, वन पंचायत भूमि — x — हे0) अर्थात कुल 2.61 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत डुगरी पन्त द्वारा दिनांक 3/7/18 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित समी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम डुगरी पन्त के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/—
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र...
वि0 ख0 बेरीनाग (पिथौरागढ़)

ह0/— Somwalsinah
ग्राम प्रधान सेलीपाखरा

नोट :— * यदि किसी आदिवासी अथता वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 3/7/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत डुँगरी पन्त

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	राजेन्द्र सिंह	Rawat
	जोहार सिंह	मोहित सिंह
	राजू सिंह	राजू सिंह
	रविन्द्र	रविन्द्र सिंह
	खड़क सिंह	Castra
	बहादुर सिंह	B.S.
	गोपाल सिंह	गोपाल
	दीवान सिंह	दीवान सिंह
	विजय सिंह	Vijay
	लाल सिंह	लाल सिंह
	भगवान सिंह	मोहन सिंह
	मोहन सिंह	ठाकुर सिंह
	ठाकुर सिंह	कुंवर सिंह
	कुँवर सिंह	
	महेन्द्र सिंह	अनिल सिंह
	अनिल सिंह	प्रकाश
	प्रकाश सिंह	विजय सिंह
	विजय सिंह	

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र........
वि० ख० बेरीनाग (पिथौरागढ़)

ह0/– Gopalsingh
ग्राम प्रधान–सेलीपाखन

प्रपत्र–23.1

दिनांक 6/7/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत चामा

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	भगवान सिंह	भगवान सिंह
(2)	दीवान सिंह	दीवान सिंह
(3)	चन्द्र सिंह	चन्द्रा सिंह
4	पर सिंह	परा सिंह

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र.................
वि० ख० बेरीनाग (पिथौरागढ़)

हेमादेवी
प्रधान
ग्राम पंचायत- चामा (गनौरा)
वि० ख० बेरीनाग (पिथौरागढ़)
ह0/–
ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड बेरीनाग में पाताल भुवनेश्वर-चौड़मन्या मोटर मार्ग लम्बाई - 5.00 किमी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम चामा
तहसील बेरीनाग, जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विषयांकित परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.71 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.9 हे0, वन पंचायत भूमि × हे0) अर्थात कुल 2.61 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चामा द्वारा दिनांक 4.7.18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चामा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हेमा देवी

ह0/–
ग्राम सचिव
(ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, वि0 ख0 बेरीनाग (पिथौरागढ़))

ह0/–
ग्राम प्रधान
(प्रधान, ग्राम पंचायत चामा, वि0 ख0 बेरीनाग (पिथौरागढ़))

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– पाताल भुवनेश्वर–चौड़मन्या मो० मार्ग लम्बाई-5.00 किमी०

कार्यालय उप जिलाधिकारी, बेरीनाग

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, बेरीनाग

उपखण्ड बेरीनाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत पातालभुवनेश्वर–चौड़मन्या मो० मार्ग हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.71 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.90 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 2.61 हे0 वन भूमि) का लोक निमार्ण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील बेरीनाग) की दिनांक 21-10-15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री प्रमोद कुमार, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री प्रमोद कुमार उपजिलाधिकारी बेरीनाग अध्यक्ष
2– श्री सी॰पी॰ सिंह उप प्रभागीय वनाधिकारी बेरीनाग सदस्य
3– श्री बी॰डी॰ पन्त सहायक समाज कल्याण अधिकारी बेरीनाग सदस्य/सचिव
4– श्रीमती हेमा बी0डी0सी0 क्षेत्र भुवनेश्वर सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि पाताल भुवनेश्वर–चौड़मन्या मोटर मार्ग परियोजना हेतु 2.61 हे0 वन भूमि लोक निमार्ण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, बेरीनाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

S.D.M.

1.6

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड बेरीनाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत पाताल भुवनेश्वर –चौड़मन्या मोटरमार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 2.61 है0 वन भूमि P.W.D. प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– उपजिलाधिकारी
जनपद बेरीनाग
जिला पिथौरागढ़

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–
जनपद
जिला पिथौरागढ़

स.स.क आधिका/ सचिव

तहसीलदार बेरीनाग

उप निरीक्षक भुवनेश्वर
तहसील बेरीनाग
जिला–पिथौरागढ़
दिनांक..................

प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT Pithoragarh (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Pighoragarh district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. H.C. Semwal….I.A.S deputy commissioner Pithoragarh on dated 25-11-15.. at time ..4.00…at Pithoragarh in which application claiming rights in area measuring ***2.61*** hect for the construction of **patal bhuvneshwar chaudmanya** Moter Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of **Berinag** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Pithoragarh
Dated: 25-11-15

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

प्रारुप–30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Pithoragarh

No---

Dated--25-11-15

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.61** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of P.W.D. Berinag (name of user agency) for **patal bhuvneshwar chaudmanya** motor road (purpose for diversion of forest land) in Pithoragarh district falls within jurisdiction of **bhuvneshwar Ganora gothalgaon** village (s) in Gangolihat tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.61** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure …to …annexure….

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature

जिलाधिकारी

(Full name and official seal of the District Collector) पिथौरागढ़

प्रपत्र– 23

परियोजना का नामः– **जनपद पिथौरागढ के विकास खण्ड बेरीनाग में पाताल भुवनेश्वर चौडमन्या मो0 मार्ग लम्बाई 5.00 किमी0**

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।
अनुसूचित जनजाति और परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र
जिलास्तरीय समिति–पिथौरागढ़

उप खण्ड **बेरीनाग** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **पाताल भुवनेश्वर चौडमन्या मो0 मार्ग निमार्ण में 0.00** हे0 आ0 वनभूमि **1.71** हे0 सिविल एवं सोयम भूमि **0.90** हे0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल **2.61** हे0 वनभूमि का **लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग** प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील **बेरीनाग**) की दिनांक 25-11-15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री **सुशील कुमार** जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिलास्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैः–

1–श्री **सुशील कुमार** जिलाधिकारी **पिथौरागढ** अध्यक्ष।

2–श्री **डा0 इन्द्रपाल सिह** प्रभागीय वनाधिकारी **पिथौरागढ** सदस्य।

3–श्री **नन्दन सिह गस्याल** जिला समाज कल्याण अधिकारी **पिथौरागढ** सदस्य/सचिव ।

4–श्रीमती हेमा नेवलिया सदस्य जिला पंचायत क्षेत्र **चैखुना** सदस्य।

सचिव द्वारा माननीय सदस्यो का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की अध्यक्षता प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि पाताल भुवनेश्वर **चौडमन्या मो0 मार्ग** परियोजना हेतु **2.61** हे0 वनभूमि **लोक निमार्ण विभाग** प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यार्वतन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी **पिथौरागढ** द्वारा अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

सदस्य जिला पंचायत सदस्य	प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य	जिला समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव	जिलाधिकारी अध्यक्ष

जिला समाज कल्याण अधिकारी
पिथौरागढ

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ वन प्रभाग
पिथौरागढ